भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *289

जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

कर्नाटक में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत अल्पकालिक पुनर्वित्त ऋण

*289. श्री जी. कुमार नायक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक के मौसमी कृषि कार्यों के लिए नाबार्ड द्वारा स्वीकृत अल्पकालिक पुनर्वित्त ऋणों की कुल राशि तथा प्रत्येक वर्ष संवितरित वास्तविक राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य की मौसमी कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए रियायती अल्पकालिक पुनर्वित्त ऋणों की स्वीकृत सीमा में वृद्धि के लिए कर्नाटक द्वारा हाल में किए गए अनुरोध पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो राज्य की बड़ी कृषि आबादी और बृहद् शुष्क क्षेत्रों के बावजूद, 2024-25 में कर्नाटक के अल्पकालिक पुनर्वित्त ऋणों के लिए स्वीकृत सीमा को कम करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार कर्नाटक के किसानों पर सस्ते ऋण की सीमित सुलभता के कारण बढ़े हुए वित्तीय बोझ और उनमें व्याप्त अशांति की स्थिति सहित इस कटौती के संभावित प्रभाव से अवगत है और यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"कर्नाटक में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत अल्पकालिक पुनर्वित्त ऋण" के संबंध में श्री जी. कुमार नायक द्वारा पूछे गए दिनांक 16.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *289 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक को मौसमी कृषि कार्यों के लिए स्वीकृत और संवितरित ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	निधि	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि (एसटीसीआरसी)	4200.00	5500.00	5483.90	5550.00	5600.00
2	अतिरिक्त मौसमी कृषि परिचालन (एएसएओ)- सहकारिताएं	3149.00	2500.00	5414.00*	4500.00	5200.00
3	अल्पावधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निधि (एसटीआरआरबी)	600.00	700.00	723.00	1100.00	1100.00
4	एएसएओ से आरआरबी	50.00	800.00	1250.00*	1200.00	1500.00

* वर्ष 2021-22 के दौरान सहकारी समितियों को एएसएओ और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एएसएओ के अंतर्गत पहले से शामिल की गई विशेष चलनिधि सुविधा के अंतर्गत पुनर्वित्त प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्रमशः 1,700 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये की राशि के साथ विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान की गई।

(ख) से (घ): बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) सम्बंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई कमी के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सहकारी बैंकों को अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण निधि (एसटीसीआरसीएफ) की अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) (एसटी) एसएओ) निधि और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को अल्पावधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पुनर्वित्त) निधि (एसटीआरआरबीएफ) सहित विभिन्न निधियों के अंतर्गत वार्षिक आवंटन करता है। पीएसएल के अंतर्गत होने वाली कमी जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2.1 लाख करोड़ रुपये थी वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान घटकर 1.5 लाख करोड़ रुपये हो गई। इसमें कमी में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए, संस्थाओं की मांग, सरकार की प्राथमिकताओं और पिछले वर्षों के दौरान धनराशि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए एसटीसीआरसीएफ सहित विभिन्न निधियों के अंतर्गत आवंटन को युक्तिसंगत बनाया गया था। एसटी (एसएओ) निधियों के आवंटन में की गई कमी के परिणामस्वरूप, नाबार्ड द्वारा कर्नाटक को निधि के आवंटन में कमी की गई है।

पीएसएल में कमी वाली निधि में आई गिरावट इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बैंक अधिक दृढ़ता से काम कर रहे हैं और पीएसएल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, जिन्हें देश के सामाजिक-आर्थिक विकास और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, को और अधिक ऋण देने में सक्षम हैं। कृषि के लिए दिए गए बुनियादी स्तरीय ऋण (जीएलसी) में कर्नाटक का हिस्सा 2.07 लाख करोड़ रुपए रहा**,** जिसमें वर्ष 2023-24 में 20% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई तथा देश के समग्र कृषि ऋण में राज्य का हिस्सा 8% से बढ़कर 8.15% हो गया।

किसानों को किफायती ऋण बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराने के लिए, बैंकों द्वारा 3 लाख रुपये तक अल्पावधिक कृषि ऋण 7% के ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे कृषि सम्बंधी समाग्री खरीदने की अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और फसल उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों के लिए नकद राशि का आहरण कर सकें। भारत सरकार संशोधित ब्याज सहायता योजना **(**एमआईएसएस**)** के अंतर्गत इन ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान करने के लिए किसानों को तत्परता से पुनर्भुगतान करने पर 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन **(**पीआरआई**)** भी प्रदान करती है। अत:, किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4% हो जाती है।

इसके अलावा, किसानों को समय पर ऋण देने में सहकारी बैंकों को निधियों की किसी प्रकार की कमी न होने देने के लिए, नाबार्ड, बैंक की पात्रता के आधार पर अतिरिक्त एसएओ ऋण सुविधा के अंतर्गत बाजार सम्बद्ध दर पर पुनर्वित्तपोषण भी प्रदान करता है। बैंक भारत सरकार की संशोधित ब्याज सहायता योजना **(**एमआईएसएस**)** के अंतर्गत 1.5% की दर से ब्याज सहायता और 3% की दर से पीआरआई का लाभ उठा सकते हैं।

*****